राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री रामकुमार टाडा, आर.ए.एस.

जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2024/235
राजस्व वाद संख्या–34/2024
दायर दिनांक– 19.12.2024
निर्णय दिनांक– 11.03.2026

उनवानी–

1. प्रवीण गोड पुत्र अशोक कुमार गोड़ जाति ब्राह्मण नि0 वसुन्धरा नगर दिलढाणी तह0 परबतसर जिला नागौर राजस्थान

---प्रार्थी

बनाम

1. गीता देवी पुत्री रामेश्वर जाति जाट नि0 ग्राम सुरसुरा
2. नंदाराम पुत्र रामेश्वर जाति जाट नि0 ग्राम सुरसुरा
3. सीता देवी पुत्री रामेश्वर जाति जाट नि0 ग्राम सुरसुरा
4. सोदान पुत्र घीसा जाति जाट नि0 ग्राम सुरसुरा
5. दीपक चौधरी पुत्र नंदा राम जाति जाट नि0 ग्राम सुरसुरा
6. नोसर पत्नि नंदा राम जाति जाट नि0 ग्राम सुरसुरा
7. गोरा पत्नि प्रेमचन्द जाति कुमावत नि0 कास्या की ढाणी, रूपनगढ़
8. भागचंद पुत्र विश्राम शर्मा जाति ब्राह्मण नि0 झोल की ढाणी, सुरसुरा
9. तेजमल पुत्र रामा जाति खटीक नि0 ग्राम सुरसुरा
10. नंदा पुत्र रामा जाति खटीक नि0 ग्राम सुरसुरा
11. नोरत पुत्र रामा जाति खटीक नि0 ग्राम सुरसुरा
12. मंगलचन्द पुत्र रामा जाति खटीक नि0 ग्राम सुरसुरा
13. धन्ना पुत्र सुवा जाति जाट नि0 ग्राम सुरसुरा
14. पन्ना पुत्र सुवा जाति जाट नि0 ग्राम सुरसुरा
15. बन्ना पुत्र सुवा जाति जाट नि0 ग्राम सुरसुरा
16. हरदयाल पुत्र सुवा जाति जाट नि0 ग्राम सुरसुरा
17. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

–अप्रार्थीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान–भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–:1. श्री विमल किशोर तिवाड़ी अधि0 प्रार्थी

–:निर्णय:–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की वाकै ग्राम सुरसुरा पटवार हल्का सुरसुरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हरमाड़ा तहसील रूपनगढ़ के ख0न0 3098/2275 क्षेत्रफल 1.4157 है0 व 3100/672 रकबा 0.1739 है0 भूमि एकल कब्जे काश्त व खातेदारी में स्थित है तथा मौके पर प्रार्थी कब्जा काश्त करता चले आ रहा है। प्रार्थी के वाद वर्णित कब्जे एवं खातेदारी की कृषि भूमि से लगी हुई अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 17 तक के पड़ोसी खातेदार होने से पक्षकार के रूप में दर्ज किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 से 16 आये दिन अनावश्यक हस्तक्षेप कर विवाद उत्पन्न करते है एवं लड़ाई–झगड़ा करते है तथा प्रार्थी की एकल खातेदारी की कृषि भूमि की नींव सींव मेड़ को लेकर व्यवधान करते है। प्रार्थी की एकल खातेदारी की कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाने के तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा आदेश हल्का पटवारी व गिरदावर के नाम जारी किये गये तत्पश्चात सीमाज्ञान किया गया। प्रार्थी एकल खातेदारी की भूमि पर कृषि कार्य करते चले आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 16 द्वारा आये दिन नींव–सींव को लेकर विवाद करते रहते है एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 16 के द्वारा प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि की सींव उखाड़ने पर आमादा हो जाते है जिससे प्रार्थी को काफी परेशानी होती है। प्रार्थी की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी करवाया जाना अति आवश्यक है अन्यथा वाद बाहुल्यता को बढ़ावा मिल सकता है। प्रार्थी जब 15.11.2024 को अपने खेत की देखरेख करने व निराई–गुड़ाई करने गये जब अप्रार्थी संख्या 1 से 6 ने गाली गलोच करना प्रारम्भ कर दिया तथा भूमि बलात कब्जा करने

की धमकी दी और कहा तुझे खेती करने का अधिकार नहीं है इसलिये प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हआ है। अप्रार्थी संख्या 17 को भूमिधारी होने से पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रार्थी की ओर से निवेदन है कि वाद वर्णित एकल कब्जे काश्त खातेदारी की कृषि भूमि के चारो तरफ मुताबिक राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस मौके पर काबिज काश्त के अनुसार नाप चौक करवा कर सीमाज्ञान करवा कर पत्थरगढ़ी करवाये जाने हेतु आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 व 5 से 16 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रकरण में वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10(2) पेश किया गया जिसको सुनकर अप्रार्थी संख्या 4 को प्रकरण से डिलीट करने के आदेश दिये गये। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 17 तहसीलदार रूपनगढ़ की ओर से जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहरान करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी की वाद वर्णित भूमि व इससे लगवां पड़ौसी खातेदारान के मध्य नींव सींव के संबंध में विवाद होता रहता है इसलिए पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ ने अपनी बहस में पैरोकार सरकार के जवाब को ही बहस माने जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। तदनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम सुरसुरा के ख0न0 3098/2275 क्षेत्रफल 1.4157 है0 व 3100/672 रकबा 0.1739 है0 भूमि की पड़ौसी खातेदारों को सूचित करते हुये उनकी उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क की राशि रूपये 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये मात्र नियत की जाती है। जिसका मौके पर भुगतान हो। पत्थरगढ़ी शुल्क की राशि रूपये 100/– अक्षरे एक सौ रूपये मात्र जरिये चालान जमा होने पर आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

रामकुमार टाडा
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)